न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 158 / 2007

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्यामसुन्दर पुत्र हरीराम जाति माली निवासी राठौड़ी कुआ नागौर। 2. सुन्दरबाई पुत्री हरीराम पत्नी सोहनलाल कच्छावा निवासी बास मौलसर ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर। 3. खुशीलाबाई पुत्री हरीराम बेवा मांगीलाल कच्छावा निवासी ताउसर बास मौलसर तहसील व जिला नागौर 4. सुरजकान्ता पुत्री हरीराम पत्नी हीरालाल कच्छावा निवासी कड़लू तहसील व जिला नागौर।		1. लिखमाराम पुत्र रिधाराम जाति माली निवासी राठौड़ी कुआ नागौर तहसील व जिला नागौर। 2. रामस्वरूप पुत्र हरीराम हाल निवासी नागौर जैन मैटल फैक्ट्री के पीछे तहसील व जिला नागौर। 3. विष्णु पुत्र हरीराम सांखला निवासी नागौर हाल जैन मेटल फैक्ट्री के पीछे नागौर तहसील व जिला नागौर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 5. रामनिवास पुत्र लिखमाराम जाति माली सांखला निवासी राठौडी कुआ नागौर तहसील व जिला नागौर। 6. प्रकाश पुत्र लिखमाराम जाति माली सांखला निवासी राठौडी कुआ नागौर तहसील व जिला नागौर। 7. जगदीश पुत्र लिखमाराम जाति माली सांखला निवासी राठौडी कुआ नागौर तहसील व जिला नागौर। 8. सोमेश्वर पुत्र लिखमाराम जाति माली सांखला निवासी राठौडी कुआ नागौर तहसील व जिला नागौर। 9. प्रेमचन्द पुत्र लिखमाराम जाति माली सांखला निवासी राठौडी कुआ नागौर तहसील व जिला नागौर।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं विभाजन खेताय तथा स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक :- 29/1/18

1. वादीगण ने यह वाद इस आशय का पेश किया है कि, पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. बौदुराम के वंशज है। स्व. बौदुराम के समय से पक्षकारान की पुश्तैनी सह कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि मौजा जबरासी तहसील व जिला नागौर में अवस्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 81–02 बीघा, खसरा नम्बर 37 रकबा 10–14 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 59–09 बीघा व खसरा नम्बर 24 रकबा 0–16 बीघा है।

Scanned by CamScanner

2. वादीगण ने उक्त भूमि मे से अपना एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा काश्त बताते हुए उक्त भूमि मे से आधा बंट प्रतिवादी संख्या 1 व उसके वंशजो का और आधा बंट वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का होना बताया है तथा उक्त अनुसार मौके पर बंट भी है लेकिन रेकर्ड में बंटवाडा वह अलग-अलग खाते किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से यह कहते हुए साफ इन्कार होगा कि, वादग्रस्त खेताय स्व. बौदुराम ने मेरे हक में वसीयत कर दिये थे और इस भूमि का कोर्ट से फैसला भी मेरे हक मे हो गया है इसलिए आप कोई हक नही मांगते हो। परिणामतः वाद हैतुक बेमुकाम नागौर पेश होने पर वादी ने यह वाद धोखाधडी एवं कपट पूर्ण आधार पर अदालत को मुगालते मे रख प्राप्त किया गया निर्णय शून्य प्रभावी है और स्व. बौदुराम ने दिनांक 23.10.1957 को तथाकथित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र प्रथम तो कभी भी निष्पादित की गई, दूसरा ऐसी कोई वसीयत है तो भी फर्जी व बनावटी है। अतः कपट पूर्ण व धोखाधडी से प्राप्त न्यायालय के निर्णय व फर्जी वसीयत पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में कायम इन्द्राज को शून्य घोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि मे से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार पृथक-पृथक कब्जा करवाया जावे एवं तदनुसार रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द करे कि, वह वादीगण के हक हिस्से की भूमि पर स्वयं अथवा अन्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप न करे।

3. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद का पैरावार प्रत्युतर पेश कर वाद पत्र के सभी कथनो से इन्कारी करते हुए खण्डन के रूप में अपने कथन विशेष आपत्ति के रूप मे भी पेश किये। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि स्व. बौदुराम के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि की थी। वादीगण के पिता श्री हरीराम अपने पिता बौदुराम से विवाह के पश्चात अलग होकर अपने ससुराल मे रहने लग गया और ससुराल की सम्पति का मालिक हो गया तथा मुतवादिया खेताय मे से अपने हक व हिस्से का तर्क अपने पिता श्री बौदुराम के जीवन काल ही में कर दिया। वादग्रस्त भूमि का स्व. बौदुराम ने अपने जीवन काल में कार्तिक बदी तीज विक्रम संवत् 2017 तदनुसार ईस्वी दिनांक 23.10.1957 को वादग्रस्त भूमि की वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। वर्तमान बन्दोबस्त में वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से गलत रूप से दर्ज हो जाने से उसने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा वादीगण के पिता स्व. हरीराम के विरूद्ध राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर के यहा राजस्व वाद संख्या 239/68 अनवार लिखमाराम बनाम हरीराम पेश किया। इस वाद का निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.10.1968 को कर वादग्रस्त भूमि का खातेदार अकेले वादी को घोषित कर दिया है। तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर रेकर्ड मे भी खातेदार के रूप में अमल दरामद कर लिया है। राजस्व वाद संख्या 238/68 के बाद वादी के पिता स्व. हरीराम ने पुनः एक राजस्व वाद संख्या 164/70 अनवान हरीराम बनाम लिखमाराम न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर के यहा पेश कर वादग्रस्त भूमि बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवाडा चाहा गया। यह वाद जरिये राजीनामा वादीगण के पिता स्व. हरीराम ने खारिज करवा लिया। इस प्रकार वादीगण का

Scanned by CamScanner

दावा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एस्टोप्ड है तथा प्रिसीपल ऑफ रेस्ज्यूडिकेटा से भी निषिद्ध है। अतः प्रतिवादी ने अपने आपत्ति कथनो से वादीगण के वाद को निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

4. दौराने वाद वादी ने आवेदन अधीन 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर प्रतिवादी संख्या 2 के आगे दत्तक पुत्र प्रभुराम का अंकन सहवन से होना बताते हुए ऐसा इन्द्राज हटाये जाने का निवेदन किया है तथा वादी ने एक दूसरा आवेदन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर बताया कि, प्रतिवादी संख्या 1 ने दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का पंजीबद्ध बख्शीशनामा अपने पुत्रो रामनिवास, सोमेश्वर, प्रेमचन्द, प्रकाश व जगदीश के नाम निष्पादित कर दिये है इसलिए वादग्रस्त भूमि मे उक्त व्यक्तियो को भी प्रतिवादी के रूप में संयोजित किये जाने का निवेदन किया है। न्यायालय हाजा द्वारा वादी के उक्त दोनो आवेदन पत्रो को अपने निर्णय दिनांक 10.05.2013 से स्वीकार कर लिया। फलतः प्रतिवादी संख्या 2 के आगे गोदपुत्र प्रभुराम का इन्द्राज हटाया गया और श्री रामनिवास, सोमेश्वर, प्रेमचन्द, प्रकाश व जगदीश को प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के रूप में संयोजित किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या 1 ने हस्तगत प्रकरण को एस्टोपाल के सिद्धान्त से एस्टोप्ड होने तथा रेस्ज्यूटिकेटा के सिद्धान्त से निषिद्ध होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत किसी स्टेट पर खारिज किये जाने योग्य बताते हुए एक आवेदन दिनांक 20.07.2015 को पेश किया।

6. प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का पैरावार प्रत्युतर पेश कर प्रतिवादी के कथनो से असहमति व्यक्त की तथा हस्तगत वाद को इस स्टेज पर ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत चलने योग्य बताया तथा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पोषनीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य बताया है।

7. हमने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस उभय पक्षकारान के विद्ववान अधिवक्ताओं की सुनी। बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवकलोकन किया तथा विधिक प्रावधानो का पठन किया। हमारे सामने इस स्टेज पर निर्धारित करना है कि :–

आया हस्तगत वाद एस्टोपाल के सिद्धान्त से एस्टोप्ड है तथा रेस्ज्यूटिकेटा के सिद्धान्त से निषिद्ध होने से बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है?

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के प्रावधान इस प्रकार है :–

151 न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियो की व्यावृति :– इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है।

आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान इस प्रकार है :–

11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना :– वादपत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

Scanned by CamScanner

हमने उपर्युक्त विधिक स्थिति में मद्देयनजर पत्रावली के संलग्न राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर के राजस्व वाद संख्या 239/62 अनवान लिखमाराम बनाम हरीराम में निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.1968 एवं राजस्व वाद संख्या 7/70 अनवान हरीराम बनाम लिखमाराम में पारित निर्णय दिनांक 30.11.1971 का अवलोकन किया। राजस्व वाद संख्या 239/62 व 7/70 दोनो ही समान पक्षकारो के मध्य निर्णीत हुए है। इन दोनो ही प्रकरणो में विषयवस्तु इस हस्तगत वाद में प्रश्नगत मौजा जबरासी के हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 81–02 बीघा, खसरा नम्बर 37 रकबा 10–14 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 59–09 बीघा व खसरा नम्बर 24 रकबा 0–16 बीघा की भूमि है। राजस्व वाद संख्या 239/62 का निर्णय गुणावगुण पर किया गया है जिसके अनुसार वादग्रस्त उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को ही खातेदार घोषित करते हुए डिक्री वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. हरीराम के खिलाफ निष्पादित कर दी। परिणामतः न्यायालय सहायक कलक्टर स्तर से इस वाद में प्रश्नगत विषयवस्तु की भूमि का इन्ही पक्षकारो के मध्य अन्तिम निर्णय हो चुका है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के प्रावधान इस प्रकार है :–

11 पूर्व न्याय :– कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक –विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है।

हस्तगत प्रकरण इन्ही पक्षकारो के मध्य दो बार क्रमशः राजस्व वाद संख्या 239/68 व राजस्व प्रकरण संख्या 7/70 से अन्तिम रूप से निर्णीत हो चुका है। इन दोनो ही प्रकरण में विवाद की विषयवस्तु हस्तगत वाद में प्रश्नगत खातेदारी कृषि भूमि ही है। उक्त दोनो वाद मे पक्षकार क्रमशः लिखमाराम बनाम हरीराम व हरीराम बनाम लिखमाराम रहे है। हस्तगत वाद के वादीगण उक्त दोनो प्रकरणो में प्रतिवादी व वादी रहे हरीराम के वारिस है। हरीराम की मृत्यु हो जाने पर इनके बतौर वारिस वादीगण ने यह वाद पेश किया है जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 से पूर्णतया आवहरित है। फलतः आदेश 7 नियम 11 (ड़) सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस प्रकरण मे पूर्णतया चस्पा होने से वादीगण का यह वाद चलने योग्य नही पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का यह वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत नामंजूर किया जाता है। अतः वादीगण का यह वाद विधि विरूद्ध बार्ड बाई लॉ (Barred by law) होने से वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 29/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैलस शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) नागौर

Scanned by CamScanner